UPAD010004402026

न्यायालय - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, प्रयागराज।
सत्र परीक्षण संख्या-47/2026
राज्य बनाम सूर्यबली आदि।

दिनांकः- 18.03.2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष को उन्मोचन प्रार्थना पत्र 4ख पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र 4ख

1. अभियुक्तगण सूर्यबली, पिन्टू सोनकर, धीरज सोनकर एवं महेश सोनकर की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र 4ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि:-Applicants named above have been falsely implicated due to enmity while there is a cross case pending in the court of Additional Cheig Judicial Magistrate court no-10 Allahabad. Initially the an FIR against the applicants was registered U/s 323, 504, 506, 452, 427 IPC in case crime no. 322 of 2011 at Police Station Manda District Prayagraj and after lodging the FIR the investigation was taken into effect. During the course of investigation the applicants got themselves bailed out from the court of session judge of district Prayagraj. Investigation officer several times called one of the accused Surya Bali and started a demand of money in order to delete some of the sections out of FIR. He could not full demand of the 1.0. time and again, there was a refusal of payment of money to the I.O. concerned. In view of being retaliated the concerned I.O. while submitting charge sheet added one more section 308 IPC against the applicants while the complainant in FIR named Umesh Kumar and his son Girish have sustained a simple injuries on their person while injured Girish has got no x-ray of his referred injury. The sec. 308 IPC is not to be floated at any cost 1.0. is herewith submitting the charge sheet adding the sec. 308 IPC.

2. उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी व उसके परिवारीजनों को लाठी डण्डा से मार पीट कर गम्भीर चोटें पहुँचायी है। उपरोक्त मार पीट के कारण उमेश बेहोश हो गये हैं। प्रकरण के विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में गवाहों के बयानात अंकित किये जाने व अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिसपर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करने तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा उमेश सोनकर द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र पर थाना मांडा प्रयागराज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी है कि दिनाँक 10.10.2021 को 7.45 बजे बच्चों के विवाद को लेकर गांव के सूर्यबली, पिन्टू सोनकर महेश सोनकर व धीरज सोनकर ने मिलकर लाठी डण्डों से गाली गलौज करते हुये मारे पीटे। जान बचाकर अपने घर में घुस गया तो उपरोक्त लोग मेरे घर में घुसकर मुझे व मेरे लड़के गिरीश सोनकर को भी मारे पीटे। हल्ला गोहार पर गांव के लोग आ गये। मुझे व मेरे लड़के को काफी चोटें आयी है। विवेचक ने प्रकरण उपरोक्त में विवेचना के क्रम में घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना में कृत कार्यवाहियों का अंकन केस डायरी में

किया। केस डायरी के पर्चा सं0–2 में बयान मजरूब गिरीश कुमार अंकित किया है जिसमें उसने कहा है कि बच्चों के विवाद को ले कर मेरे गांव के सूर्यबली, पिन्टू सोनकर, महेश सोनकर व धीरज सोनकर गाली गलौज करते हुये घर में घुसकर मारे पीटा जिससे मेरे पिता जी मौके पर बेहोश हो गये। अगर गांव वाले नहीं आते तो मुझे व मेरे पिता जी को मार देते। केस डायरी के पर्चा सं0–2 में ही वादी द्वारा बताये गये चश्मदीद गवाह पप्पू तथा रामराज ने भी पुलिस को दिये गये बयान में अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा व उसके पुत्र को घर मे घुसकर मारने पीटने व मारपीट में उमेश के बेहोश हो जाने संबंधी कथन अंकित हैं। केस डायरी के पर्चा सं0–3 में अवलोकन मेड़िकल रिपोर्ट व बयान डा0 ए0 पी0 यादव अंकित किया गया है जिसमें उमेश सोनकर को दो चोटें क्रमशः सिर व सीने पर होने तथा गिरीश कुमार को तीन चोटें सिर, सिर के पीछे व पैर में होने तथा चोटों की सही जानकारी हेतु रेफर किये जाने का अंकन किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0–4 में बयान चश्मदीद गवाह तौफिक का अंकन किया गया है जिसमें गवाह ने कहा है कि "दिनाँक 10.10.2021 को गांव के ही पप्पू के साथ सोनकर बस्ती में मौजूद था। शोर व हल्ला सुनकर उमेश सोनकर के घर पहुँचकर देखा कि सूर्यबली, पिन्टू सोनकर, महेश सोनकर, धीरज सोनकर द्वारा लाठी डण्डे से मारा पीटा जा रहा था, जिससे उमेश सोनकर मौके पर गये। क्योंकि उक्त व्यक्तियों द्वारा लाठी डण्डे से उमेश सोनकर के सिर पर गम्भीर प्रहार किया गया। मारपीट में उमेश सोनकर व उसके बेटे को गम्भीर चोटें आयी। अगर मौके पर हम लोग नहीं आते तो उमेश की हत्या हो जाती। आरोपी इतना उग्र हो गये थे कि वे लोग समझाने से भी नहीं समझे। जब उमेश बेहोश हो गया तो उसको मरा समझ कर भाग गये।'' विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर मु0 अ0 सं0–322/2021 में धारा–308 भा0 दं0 सं0 की बढ़ोत्तरी करते हुये अभियुक्तगण सूर्यबली, पिन्टू सोनकर, महेश सोनकर एवं धीरज सोनकर के विरूद्ध धारा–323, 504, 506, 452, 427, 308 भा0 दं0 सं0 के अपराध में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2022 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा दिनांक 06.01.2026 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का बारीक मूल्यांकन करने के आधार पर निष्कर्ष व्यक्त करना नहीं होता है, बल्कि यदि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य है तो उसे उन्मोचित नहीं किया जायेगा।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं जिनके विरूद्ध विवेचना के दौरान मारपीट में स्पष्ट भूमिका का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर इस बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर उसका विचारण किया जा सके। उन्मोचन प्रार्थनापत्र 4 ख स्वीकार किये जाने का समुचित आधार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 4 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उन्मोचन प्रार्थनापत्र 4 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 18.04.2026 को पेश हो।

दिनांक–18.03.2026

(रवि कान्त–II)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–**2,** प्रयागराज।
J.O.Code–UP6427